



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



29 फाल्गुन, 1947 (श०)

संख्या - 129 राँची, शुक्रवार,

20 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

12 फरवरी, 2026

संख्या-5/आरोप-1-27/2023 का० 792 -- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती अमृता प्रियंका एक्का झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 548/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा, गुमला के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1969, दिनांक 09.05.2023 के माध्यम से उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-465(ii) / स्था०, दिनांक 12.04.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

आरोप पत्र में इनके विरुद्ध 15वें वित्त आयोग, मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय निदेशों की अवहेलना करते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन में लाभुक समिति के माध्यम से न करते हुए भेण्डर को सीधे राशि का भुगतान करने योजनाओं में अनियमित रूप से अग्रिम का भुगतान करने एवं बिना पूर्व अग्रिम के समायोजन के दूसरा अग्रिम का भुगतान करने एक बड़ी राशि भेण्डर को भुगतान करने के बावजूद योजनाओं का लंबित रहना एवं योजनाओं की नियमित समीक्षा एवं निरीक्षण नहीं करने, मनरेगा अधिनियम के विरुद्ध जन प्रतिनिधि एवं उनके परिवार को योजना का लाभ प्रदान करने एवं टुरुण्डु पंचायत के मुखिया की अनुपस्थिति की सूचना जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं करना तथा उनके डिजीटल हस्ताक्षर का अनधिकृत रूप से उपयोग करते हुए राशि की निकासी करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. श्रीमती एक्का के विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प सं0-23310(HRMS), दिनांक 03.08.2023 द्वारा श्रीमती एक्का के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।

3. विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-385, दिनांक 19.06.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित कुल 06 आरोपों में से एक भी आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

4. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है।

5. माननीय झारखण्ड झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा कतिपय मामलों में विभागीय कार्यवाही / अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों को Exhibit नहीं करने, साक्ष्यों का परीक्षण संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों से नहीं कराये जाने एवं आरोपी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिपरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण सरकार के द्वारा आरोपी सरकारी सेवक के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति को निरस्त कर दिया जाता है।

6. अतः झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2016 के नियम-18(1) के तहत दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

7. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती एक्का को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही में शामिल हों तथा तत्संबंधी सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराएँ।

8. श्रीमती एक्का के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में पुनः आगे जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरूण वाल्टर संग्रा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

9. श्रीमती एक्का के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं0-23310(HRMS), दिनांक 03.08.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गुमला उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किये गये हैं।

10. श्रीमती एक्का के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख, श्री अरूण वाल्टर संग्रा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी को वापस करते हुए अनुरोध है कि दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों / सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए यथाशीघ्र जाँच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

11. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव ।
